



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

डॉ. सुरेश कुमार शर्मा
वित्त नियंत्रक

क्रमांक: एफ.03()आयकर/वि.नि./श्रीकनकृषिवि/2025

928-32

दिनांक : 12.05.2025

M/S Arbaz Khan & Company,
E-3A, Gokul Apartment,
Kanti Chandra Road,
Jaipur-302016
arbazkhan.edu@gmail.com
Mob. No. 8005918517

विषय :- GST , एवं Income Tax सम्बन्धी कार्यों हेतु कार्यादेश बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जी GST TDS एवं Income Tax सम्बन्धी कार्यों के कोटेशन क्रमांक 646.51 दिनांक 01.05.2025 में आपकी दरे सबसे कम पाई जाने के कारण माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् आपको निम्न दरों पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक के लिये कार्यादेश स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2025-26 के समस्त कार्मिकों के Form No. 16 (A), Form No. 16 (B) एवं थर्ड पार्टी के Form No. 16 (A) जारी होने के उपरान्त कार्य पूर्ण माना जायेगा।

क्र.स.	कार्य का प्रकार	दर	GST	कुल योग
01	1. GST तथा GST, TDS रु. 1. GST जमा कराने हेतु चालना बनाना, GST एव GST, TDS से सम्बन्धित सभी तरह की रिटर्न फाईल करना एव प्रति उपलब्ध कराना, आवश्यकता होने पर GST से सम्बन्धित करेक्शन स्टेटमेंट फाईल करना, GST से सम्बन्धित मामलों में समय समय पर परामर्श देना, GST TDS के सर्टिफिकेट आदि कोई है तो जारी करना, जी.एस.टी तथा जी.एस.टी टी.डी.एस सम्बन्धी विषयों पर समय-समय पर परामर्श देना, जी.एस.टी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के नोटिस का जवाब विभाग को देना एवं विश्वविद्यालय का प्रबल पक्ष विभाग को प्रस्तुत करना एवं जी.एस.टी के सम्बन्ध में कोई वाद उत्पन्न होता है तो जवाब तैयार करवाना तथा वाद की पैरवी में पूर्ण सहयोग प्रदान करना। 2. आयकर :- (लगभग 1000 कर्मचारी) 1. त्रैमासिक आयकर TDS रिटर्न फाईल करना, नियमानुसार सामयिक डाटा फाईल करना तथा नियमानुसार सामयिक Form No. 16/16A Generate कराकर उपलब्ध कराना एव आवश्यकतानुसार उसमें करेक्शन आदि कराना, आवश्यकता होने पर Revised Return File करना, आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस चाहे किसी भी वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित हो तो जवाब देना, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करना, आयकर सम्बन्धि मामलों में समय-समय पर परामर्श देना। आयकर विभाग में चल रहे प्रकरणों में विभाग का प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करना एवं आयकर विभाग से मध्यस्था का कार्य करना।	67,200.00	0.00	67,200.00
कुल योग		67,200.00	0.00	67,200.00

शर्त :-

- प्रत्येक तिमाही के TDS रिटर्न के लिये समस्त दस्तावेज विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर तिमाही की समाप्ति के 20 दिवस के भीतर रिटर्न दाखिल करने का दायित्व फर्म का होगा।
- Form No. 16 & 16A के लिये कार्यालय में उपस्थित रहकर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर Form No. 16 & 16A उपलब्ध करवाने होंगे।
- वर्ष 2025-26 के लिये समस्त कार्मिकों के Form No. 16 (A), Form No. 16 (B) जारी करने का दायित्व फर्म का रहेगा।
- वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित समस्त रिटर्न भरने का दायित्व फर्म का होगा।

5. वर्ष 2025-26 से सम्बन्धित समस्त आयकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने एवं विध्वविद्यालय का पक्ष रखने का दायित्व फर्म का रहेगा। वर्ष 2025-26 से पूर्व के वर्षों का कोई नोटिस प्राप्त होता है तो उस पर कार्यवाही हेतु आपकी सहमति के आधार पर पूरक से भुगतान देय होगा।
6. विश्वविद्यालय परिसर से आयकर/जी.एस.टी. से सम्बन्धित सुचनाएँ एकत्रित कर प्रपत्रों की जांच करने तथा ऑनलाइन डाटा फिलिंग का कार्य विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित रह कर करना होगा तथा प्रति माह दो विजिट अनिवार्य होगी एवं माह में दो से अधिक विजिट होने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाएगा।
7. अन्य सभी शर्तें जो कोटेशन में वर्णित हैं लागू होंगी।

६.

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विध्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विध्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विध्वविद्यालय, जोबनेर।
4. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विध्वविद्यालय, जोबनेर।
5. रक्षित पत्रावली।


वित्त नियंत्रक